प्रेस विज्ञप्ति

13.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05.08.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा माननीय विशेष मोबाइल न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, संगारेड्डी, तेलंगाना की अदालत में मेसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीसी संख्या 284/2017 के तहत दायर शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। उक्त शिकायत के अनुसार, मेसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो जमे हुए भैंस के मांस के प्रसंस्करण में लगी हुई थी, ने टीएसपीसीबी से अनुमति प्राप्त की थी कि परिसर में पशु वध के दौरान उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्ट को टीएसपीसीबी के मानदंडों के अनुसार उचित रूप से वर्गीकृत और निपटाया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने जमे हुए भैंस के मांस के प्रसंस्करण में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए टीएसपीसीबी द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24 और 43 के तहत अपराध किया।

ईडी की जाँच से पता चला कि मेसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने परिसर में उत्पन्न होने वाले खतरनाक ठोस मांस अपशिष्ट के उपचार की वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया। इसके बजाय, कंपनी ने खतरनाक अपशिष्ट को खुले क्षेत्र में फेंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्रों में सतही और भूजल प्रदूषण हुआ। ईडी की जाँच से यह भी पता चला कि उक्त अनुसूचित अपराध को अंजाम देकर कंपनी ने 61 लाख रुपये की आपराधिक आय अर्जित की। इस राशि का उपयोग खतरनाक कचरे के निपटान के बजाय, मेसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया।

ईडी ने इससे पहले मेसर्स अलकबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 61 लाख रुपये की सावधि जमा के रूप में चल संपत्ति जब्त की थी।